न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 73/20 सन् 2020

जीसीएमएस संख्या 2020/00180

बउनवानी– रामेश्वर पुत्र मोरपाल जाति मीना निवासी नीदंडदा, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 232/2020 निर्णय दिनांक 06.03.2020 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :– 1. श्री बच्चू सिंह जाट — वकील अपीलान्ट

2. श्री तौफिक मोहम्मद — पैरोकार राजस्व

दिनांक 06.04.2021

–: निर्णय :–

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 232/2020 में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने के अतिरिक्त 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2076 में वाके ग्राम नीदंडदा तहसील सवाईमाधोपुर की गै0मु0 खारडा की भूमि आराजी ख0न0 655 रकबा 0.01 है0 पर गड्डू गाडकर तार फैंसिगं कर अतिक्रमण किये जाने के आशय की रिपोर्ट तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जॉच नही की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा रंजिशवश प्रस्तुत गलत व झूॅठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि विवादित भूमि के पास अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है जिसपर तार फैंसिंग की गयी है। यह कथन भी किया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के तहत विधिवत नोटिस जारी कर सुनवायी का समुचित अवसर भी प्रदान नही किया गया एवं बिना सुने ही न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध इकतरफा में आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्ट अपनी प्रतिरक्षा करने के अधिकार से महरूम हो गया। जहॉ तक अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विधि में सुस्थापित है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्व में [illegible] मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया हो तो उस व्यक्ति को पश्चातवर्ती अति[illegible] माना जा सकता। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिसके आधार पर [illegible] पूर्व में बेदखल किया गया हो, इस सम्बन्ध में अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये इकतरफा बयान को विधि अनुरूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:46:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

नही माना जा सकता है क्योंकि इसमें अपीलान्ट को पटवार हल्का से जिरह करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के विपरीत है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.12.2020 को पुलिस का सिपाही वारण्ट लेकर गांव आने पर घर वालो के बताये जाने पर प्राप्त हुई, प्राप्त जानकारी के अनुसार मुझ अपीलान्ट के विरूद्ध पारित आदेश की अपील व लिमि0 प्रार्थना पत्र दफा–5 मय शपथ पत्र के डेट ऑफ नॉलेज के आधार पर अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार फरवायी जावे एवं आदेश जैर अपील खारिज कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहॉ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अपीलान्ट को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट के नोटिस की अपीलान्ट की पत्नि से करवायी गयी विधिवत तामील से हो जाती है। जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया, जिसके आधार पर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयानो के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जैर अपील पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट की तलवी हेतु जारी नोटिस की अपीलान्ट की पत्नि से करवायी गयी तामील से हो जाती है। किन्तु पश्चात्वर्ति अतिक्रमण होने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानो के आधार पर नही की जा सकती है, क्योकि पत्रावली पर अपीलान्ट को उक्त भूमि पर से पूर्व मे बेदखल किये जाने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण से संबंधित दस्तावेज तथा पूर्व मे पारित निर्णयों से संबंधित कोई दस्तावेज रिकार्ड पर नही लिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सजा की सीमा तक सशर्त स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सजा की सीमा तक इस शर्त पर स्वीकार की जाती है कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर ख0न0 655 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम नीदंडदा का मौका दिखवाया जाकर यह सुनिश्चित करे कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया हो तो आदेश जैर अपील सें दी गयी सजा माफ समझी जावे। यदि वर्तमान मे भी अपीलान्ट का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा यथावत पाया जावे तो गत निर्णय की प्रति, बेदखली आदेश की प्रति इत्यादि को रिकार्ड पर लेते हुए आदेश जैर अपील से दी गयी सजा यथावत रखी जावे। शेष बेदखली व वसूली बाबत पारित आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:46:03 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

.......(2)